सं0-**डब्लू**-**पांच**-**अनुदेश**/2017-**सतर्कता**

महानिदेशालय, **केरिपुबल**

(**गृह मंत्रालय**)

ब्लाक सं0 -1, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 03
दिनांक 12 जुलाई, 2017

विषय: **<u>स्थायी आदेश</u>** - 02/2017 : **<u>केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु अनुदेश।</u>**

स्थायी आदेश सं0-8/2014 एवं इसमें बाद में हुए संशोधनों को अधिक्रमित करते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम,निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार दवारा समय-समय पर जारी विभिन्न अनुदेशों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जाते हैं।

2. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम,निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (एसएचडब्लूडब्लू (पीपीआर) अधिनियम) 22 अप्रैल 2013 को लागू हुआ। इसके बाद कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) नियमावली, 2013 दिनांक 9/12/2013 को अधिसूचित की गई। इसके तहत बनाए गए नियम एवं अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों के निपटान हेतु एक निवारक प्रणाली उपलब्ध कराते हैं।

3. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 एवं केन्द्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियमावली, 1965 को भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 19/11/2014 में प्रकाशित अधिसूचना जी0एस0आर0 822 (ई) एवं जी0एस0आर0 823 (ई) द्वारा संशोधित किया गया है ।

4. जहां तक केन्द्रीय कर्मचारियों का संबंध है, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में यौन उत्पीड़न को परिभाषित करते हुए प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं। केन्द्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम 14(2) के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग या कार्यालय में गठित शिकायत समिति जोकि ऐसे शिकायतों की जांच कर रही हो तो उसे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त **जांच प्राधिकारी** माना जाएगा और जहां तक व्यवहार्य हो समिति उन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप जांच निष्पादित करेगी। केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली एवं केन्द्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियमावली के तहत नहीं आने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों हेतु उनके संगत सेवा नियमावलियों में समान प्रावधान उपलब्ध हैं।

5. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं0:11013/2/2014-स्था0 (ए-।।।) दिनांक 16/7/2015 के द्वारा यौन उत्पीड़न जांचों की प्रक्रिया को सरल किया है।

यौन उत्पीड़न शिकायतों की जांच संचालन के लिए विभिन्न शर्तों और उपायों के विवरण नीचे निर्धारित किए गए है:-

ए. **<u>शिकायत समितियां</u>**

विशाखा मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुपालन में सभी मंत्रालयों/विभागों एवं संगठनों में शिकायत समितियों का गठन किया गया है। कार्यस्थल पर

महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 4 (1) के अनुसार प्रत्येक कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) (इसे बाद में ''शिकायत समिति'' के रूप में उदधृत किया जाएगा) का गठन किया जाना है। धारा 4 (2) के अनुसार इसकी अध्यक्षता एक महिला के द्वारा की जाएगी तथा इसमें कम से कम आधे सदस्य भी महिलाएं ही होनी चाहिए। यदि किसी कार्यालय में उपयुक्त वरिष्ठ स्तर पर महिला अधिकारी नहीं है तो दूसरे कार्यालय से अधिकारी नियुक्त किया जाय। वरिष्ठ स्तर पर किसी अनुचित दबाव अथवा प्रभाव से बचने के लिए ऐसी शिकायत समितियों को किसी तीसरे पक्ष जैसे कि गैर सरकारी संगठन अथवा ऐसा निकाय जिसे कि यौन उत्पीड़न के मामलों के निष्पादन में अनुभव है, को भी इसमें शामिल किया जाय। तद्नुसार केरिपुबल में यौन उत्पीड़न समितियों का गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा :-

(I) **<u>महानिदेशालय, केरिपुबल में केन्द्रीय स्तर पर आंतरिक जांच समिति (सीएलआईसीसी)</u>**

I. पीठासीन अधिकारी (महिला)
2. सदस्य-1 (महिला)
3. सदस्य-2 (गैर सरकारी संगठन सदस्य)
4. सदस्य-3 उप कमाण्डेंट(विधि) अथवा अन्य कोई विधि अर्हता प्राप्त अधिकारी

(I) **<u>सेक्टर स्तर आंतरिक जांच समिति (एसएलआईसीसी)</u>**

1. पीठासीन अधिकारी (महिला)
2. सदस्य-1 (महिला)
3. सदस्य-2 (गैर सरकारी संगठन सदस्य)
4. सदस्य-3 (संबंधित सेक्टर का विधि अधिकारी और यदि कोई विधि अधिकारी तैनात नहीं है तो अन्य कोई विधि अर्हता प्राप्त अधिकारी)

टिप्पणी :-

ए) सीएलआईसीसी महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों/अधीनस्थ अधिकारियों/अन्य रैंकों के विरूद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करेगी। जैसा कि महानिदेशक, केरिपुबल द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने पर यह समिति बल के अन्य उच्च अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतों की भी जांच करेगी।

बी) एसएलआईसीसी सेक्टर के वरिष्ठ अधिकारियों/अधीनस्थ अधिकारियों/अन्य रैंकों के विरूद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करेगी। यदि किसी अधिकारी के विरूद्ध जांच हेतु उपयुक्त वरिष्ठ स्तर पर कोई महिला अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो महानिदेशक, केरिपुबल द्वारा एसएलआईसीसी के पीठासीन अधिकारी के रूप में दूसरे सेक्टर/कार्यालयों से महिला अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है।

सी) यदि आरोपित अधिकारी से वरिष्ठ दूसरी महिला अधिकारी बल में उपलब्ध नहीं है तो दूसरे संगठन से उपयुक्त वरिष्ठ महिला अधिकारी को नियुक्त किए जाने के लिए मामला गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा।

डी) जहां तक व्यवहार्य हो जांच निष्पादन में समिति, केन्द्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियमावली, 1965 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगी। यद्पि भा0पु0से0 अधिकारियों के मामले में अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के प्रावधानों के अनुसार जांच निष्पादित की जाएगी। केरिपुबल के कैडर अधिकारी होने की दशा में केन्द्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियमावली, 1965 के प्रावधानों के अनुसार जांच निष्पादित की जाएगी। अराजपत्रित कार्मिकों की दशा में केरिपुबल अधिनियम 1949 एवं नियमावली 1955 लागू होगा।

बी. **<u>यौन उत्पीड़न क्या है</u>** ?

1. 'यौन उत्पीड़न' के अन्तर्गत नीचे दिए गए किसी एक या कई कार्यों अथवा व्यवहार शामिल है (चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या ऐसी मंशा हो), जिनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

(I) शारीरिक संबंध या इसके लिए कोशिश करना : अथवा

(II) यौनेच्छा की मांग या निवेदन : अथवा

(III) अश्लील टिप्पणी : अथवा

(IV) कोई अश्लील चित्र/साहित्य या फिल्म दिखाना : अथवा

(V) अश्लील तरीके से शारीरिक, मौखिक या अमौखिक रूप से छेड़ना।

(II) अन्य परिस्थितियों सहित निम्नलिखित परिस्थितियां जिसमें यौन उत्पीड़न का कोई कार्य अथवा व्यवहार उसमें शामिल हो या उससे संबंधित हो तो उसे यौन उत्पीड़न की श्रेणी में माना जाएगा :-

(I) नौकरी में वरीयतापूर्ण बर्ताव का वचन स्पष्ट होना या अंतर्निहित होना : अथवा

(II) नौकरी में हानि पहुंचाने वाले बर्ताव का भय स्प्ष्ट होना अथवा अंतर्निहित होना : अथवा

(III) उसकी नौकरी के वर्तमान अथवा भविष्य के परिदृश्य पर खतरा स्पष्ट होना या अंतर्निहित होना : अथवा

(IV) उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके विरूद्ध भयपूर्ण, शत्रुतापूर्ण एवं अपमानजनकपूर्ण माहौल बनाना :अथवा

(V) नीचा दिखाने के लिए किए जाने वाला ऐसा व्यवहार जिससे उसकी सुरक्षा एवं स्वास्थय पर असर पड़ता हो।

(**सी**) **<u>कार्यस्थल का निर्धारण</u>** :

अधिनियम की धारा-2(ओ) के अनुसार निम्नलिखित स्थान 'कार्यस्थल' की श्रेणी माने जाएंगे :

(I) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, स्वामित्व, नियंत्रित तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से पूंजी लगाया गया कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, उद्यम, संस्थान, कार्यालय इत्यादि :

(II) अस्पताल अथवा नर्सिंग होम :

(III) प्रशिक्षण, खेलकूद अथवा अन्य गतिविधियों हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले कोई भी खेलकूद संस्थान, स्टेडियम इत्यादि :

(IV) कोई ऐसा स्थान जहां कि कर्मचारी को सेवा के दौरान या बाद में जाना पड़ता है जिसमें कि नियोक्ता द्वारा ऐसे स्थान पर जाने के लिए वाहन उपलब्ध करवाना भी शामिल है :

(**डी**) **<u>प्रारंभिक राहत</u>** :

समिति को निम्नलिखित सिफारिश करने की भी शक्ति होगी :-

(I) पीड़ित महिला अथवा आरोपित अधिकारी को किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानान्तरण करने के लिए : अथवा

(II) पीड़ित महिला को तीन महीने की अवधि तक की छुट्टी प्रदान करने के लिए। (छुट्टी खाते से यह प्रदत्त छुट्टी काटी नहीं जाएगी।)

(**ई**) **<u>शिकायत समितियों का जांच प्राधिकारी होना</u>** :

केन्द्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम 14(2) में दिए गए प्रावधान के अनुसार यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले में प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग इत्यादि में ऐसी शिकायतों की जांच हेतु गठित शिकायत समितियों को इन नियमों के प्रयोजनार्थ अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी माना जाएगा। जब तक कि अलग से कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की जाए तब तक शिकायत समितियां केन्द्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम 14 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार जहां तक व्यवहार्य हो, जांच को निष्पादित करेंगी।

(**एफ**) **<u>जांच की आवश्यकता</u>** :

यौन उत्पीड़न की शिकायतें सीधे अथवा प्रशासनिक प्राधिकारियों इत्यादि के माध्यम से प्राप्त होने पर अथवा ऐसे किसी मामले पर स्वत: संज्ञान लेकर शिकायत समितियां उस पर कार्रवाई कर सकती हैं। इस अधिनियम की धारा-9(1) के अनुसार शिकायतकर्ता अथवा पीड़ित महिला को घटना के तीन माह के भीतर शिकायत दर्ज करना होगा और यदि कई घटनाएं हुई हैं तो अंतिम घटना से तीन माह के भीतर की अवधि मान्य होगी। हालांकि शिकायत समिति इस समयावधि को बढ़ा सकती है बशर्ते कि बढ़ाए जाने हेतु लिखित रूप से दर्शाए गए कारणों से समिति संतुष्ट हो तथा उसे ऐसा लगता हो कि शिकायतकर्ता को निर्धारित समयावधि में शिकायत दर्ज कराने में परिस्थितियां बाधक थीं।

एफ. जांच की आवश्यकता

शिकायत समितियों को जब यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो वे सीधे या प्रशासनिक प्राधिकरणों के माध्यम से उन पर कार्रवाई कर सकती हैं, या तब, जब वे इन पर स्वत: संज्ञान लेती हैं। अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार पीड़ित महिला या शिकायतकर्ता को घटना के तीन महीने के अंदर सिलसिलेवार घटनाएं होने और घटनाओं की श्रृंखलाओं के मामले में आखिरी घटना के तीन महीने के अंदर शिकायत करनी होती है। शिकायत समिति यदि संतुष्ट है कि शिकायतकर्ता के समक्ष ऐसी परिस्थितियां थी, जिन्होंने उन्हें निर्धारित अवधि में शिकायत करने से रोका हो, का लिखित में वर्णन करते हुए इस समय अवधि में छूट प्रदान कर सकती है।

यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों का शिकायत समिति द्वारा निपटाया जाना अपेक्षित है। शिकायत मिलने पर आरोप के तथ्यों की जांच करवाने की आवश्यकता है। इसे प्रारंभिक जांच/तथ्य खोज जांच या जांच-पड़ताल कहा जाता है। शिकायत समिति द्वारा यह जांच की जाती है। आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए समिति दस्तावेजी प्रमाण इकट्ठे कर सकती है तथा शिकायतकर्ता सहित किसी संभावित गवाह का बयान रिकार्ड भी कर सकती है। यदि आरोप-पत्र जारी करना आवश्यक हो, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी आरोप निर्धारित करने तथा आरोपों को सिद्ध करने के लिए जांच तथा जुटाए गए साक्ष्यों पर भी विश्वास कर सकता है।

जी. <u>दोहरी भूमिका</u>

उपर्युक्त नियम 14(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार शिकायत समिति सामान्यत: दो स्तरों पर शामिल होती है। पहला स्तर जांच-पड़ताल करना है, जिसकी चर्चा पिछले पैरों में पहले ही की जा चुकी है। दूसरे स्तर में वे जांच प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। यह आवश्यक है कि दोनों भूमिकाओं को साफ-साफ समझा जाए तथा जहां तक संभव हो सीसीएस (सीसीए) नियमावली 1965 के नियम 14 या आरोपी पर लागू सेवा नियमों के अनुसार जांच की जाए। जांच के प्रावधानों के न अपनाए जाने के कारण जांच का परिणाम बिगड़ सकता है।

उपर्युक्त विवरणानुसार शिकायत समिति, नियम 14 (2) में निहित शर्तों के अनुसार जांच प्राधिकारी का कार्य भी करती है। अत: यह सावधानी रखी जाए कि जांच के स्तर पर पूर्ण निष्पक्षता बरती गई हो। ऐसा न कर पाने की दशा में जांच में भेदभाव का आरोप लग सकता है और जांच का परिणाम बिगड़ सकता है। यदि जांच प्राधिकारी पर पक्षपात के आरोप लगते हैं तो निदेशानुसार अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पक्षपात के ऐसे आरोपों पर निर्णय लेने तक जांच

प्राधिकारियों द्वारा वह जांच रोक कर रखी जाएगी। यदि समिति के किसी एक सदस्य पर पक्षपात के आरोप साबित हो जाते हैं तो समिति को जांच करने की अनुमति नहीं होगी।

उपर्युक्त के मद्देनजर शिकायत समिति को आरोपों की जांच के समय यह अनुशंसा करनी चाहिए कि आरोपों में प्रथम दृष्टया सच्चाई है जिसके आधार पर औपचारिक जांच करवाई जा सकती है। उन्हें किसी प्रकार की निर्णयात्मक अनुशंसा करने या स्वयं के विचार व्यक्त करने से बचना चाहिए, जिससे यह न लगे कि ऐसी जांच करते समय उनके विचार पूर्वधारणा से ग्रसित होंगे।

एच. **<u>आरोप-पत्र जारी करने का निर्णय तथा जांच करना</u>**

स्तर-। की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी को यह ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट का जांच करनी चाहिए कि क्या आरोपी अधिकारी को औपचारिक आरोप-पत्र जारी करने की आवश्यकता है या नहीं। नियम 14(3) के अनुसार अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा या उनकी ओर से आरोप-पत्र जारी किया जाता है। यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ऐसा निर्णय लेते हैं तो आरोप-पत्र का जवाब देने के लिए आरोपी अधिकारी को अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। नियम 14(5) के अनुसार आरोपी अधिकारी से जवाब मिलने के पश्चात् जांच करवाए जाने के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए।

यदि आरोपी अधिकारी स्पष्ट रूप से तथा बिना शर्त के आरोपों को स्वीकार कर लेता है तो उसके विरूद्ध औपचारिक जांच करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सीसीएस (सीसीए) नियमावली 1965 के नियम 15 के अनुसार या उस पर लागू सेवा नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

आई. **<u>जांच के स्तर</u>**

यदि आरोपी अधिकारी आरोपों से इंकार करता है और उसका जवाब विश्वासप्रद नहीं है तो उसके जवाब के साथ आरोप-पत्र औपचारिक जांच के लिए शिकायत समिति को भेजा जा सकता है। इसके साथ नियम 14(6) में दर्शाए गए दस्तावेज भी शिकायत समिति को भेजे जाएंगे। अधिनियम के अनुच्छेद 11(3) के अनुसार जांच करने के लिए जब शिकायत समिति निम्नलिखित मामलों में किसी अभियोग की सुनवाई कर रही हो, तो उसे वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत एक सिविल अदालत को प्राप्त होती हैं :-

I) जब किसी व्यक्ति को बुलाकर हाजिर किया गया हो और उसे शपथ देकर उसका परीक्षण किया जा रहा हो।

II) जब दस्तावेजों की खोज करके उन्हें प्रस्तुत करना हो।

III) अन्य कोई मामला जो निर्धारित किया जा सकता है।

अधिनियम के अनुच्छेद 11(4) के अनुसार जांच को नब्बे (90) दिनों के अंदर पूरा करना होगा।

जे. **<u>प्रस्तुति अधिकारी तथा बचाव सहायक</u>**

अनुशासनात्मक प्राधिकारी नियम 14(5)(सी) की शर्तों के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी को अभियोजन पक्ष की ओर से शिकायत समिति/जांच प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्तुति अधिकारी नियुक्त करेंगे। सभी सूचीबद्ध दस्तावेज प्रस्तुति अधिकारी को भेजे जाएंगे। उसके बाद शिकायत समिति प्रस्तुत अधिकारी तथा आरोपी अधिकारी को बुलाएगी। सर्वप्रथम आरोपी अधिकारी को औपचारिक तौर पर यह पूछा जाएगा कि क्या वह आरोपों को स्वीकार करता है। जैसा कि पहले दर्शाया गया है आरोपी अधिकारी द्वारा आरोप के किसी अनुच्छेद के स्पष्ट और बिना शर्त स्वीकार कर लेने के मामले में उस अनुच्छेद की कोई जाचं नहीं की जाएगी और आरोपी अधिकारी का बयान दर्ज कर लिया जाएगा। उसके बाद उन आरोपो की जांच की जाएगी जो आरोपी अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं।

आरोपी अधिकारी को एक बचाव सहायक प्राप्त करने का अधिकार भी है। बचाव सहायक संबंधित प्रावधान कें.सि.से.(नि.ब.अ.) नियमावली 1965 के नियम 14(8) में निहित है।

के. **<u>जांच की प्रक्रिया</u>**

उसके बाद जांच प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुति अधिकारी को आरोप-पत्र में सूचीबद्ध तथा आरोपी अधिकारी द्वारा देखे जा चुके अभियोजन पक्ष के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। यदि आरोपी अधिकारी को ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं तो अब प्रतियां उसे सौंपी जाएंगी। आरोपी अधिकारी द्वारा ऐसे दस्तावेज तथा गवाहों की सूची प्रस्तुत करनी होगी जो वह अपने बचाव में प्रस्तुत करना चाहता है। जांच प्राधिकारी ऐसे दस्तावेजों तथा गवाहों को उनकी प्रासंगिकता के आधार पर विचार करेंगे। एक बार ऐसे दस्तावेजों की स्वीकार्यता होने पर जांच प्राधिकारी दस्तावेजों के संरक्षक से ये दस्तावेज मंगवाएंगे।

जब नियमित सुनवाई शुरू होती है तो जांच प्राधिकारी प्रस्तुत अधिकारी को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। ऐसे दस्तावेज जो आरोपी अधिकारी द्वारा विवादित बताए जाते हैं इन्हें रिकार्ड में लाए जाने से पहले गवाहों द्वारा प्रमाणित करने होंगे। विवादरहित दस्तावेजों को रिकार्ड में लाया जाएगा और इन्हें प्रमाण के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

एल. **<u>गवाहों का परीक्षण</u>**

इसके पश्चात् आरोप-पत्र में सूचीबद्ध गवाहों को बुलाया जाएगा। प्रस्तुत अधिकारी जिस क्रम में उचित मानता हो उन गवाहों को प्रस्तुत कर सकते हैं। जांच के दौरान इन गवाहों का निम्नलिखित ढंग से परीक्षण किया जाएगा :-

मुख्य परीक्षण प्रस्तुति अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसमें वह तथ्य प्राप्त करने के लिए गवाहों से सवाल पूछेगा। उसके पश्चात् बचाव पक्ष द्वारा उन गवाहों का क्रॉस-परीक्षण किया जाएगा। क्रास-परीक्षण के बाद प्रस्तुत अधिकारी को गवाहों के पुन: परीक्षण का अवसर दिया जाएगा। इस परीक्षण में प्रधान (लीडिंग) प्रश्न करने की अनुमति नहीं होती। यद्यपि क्रॉस-परीक्षण के दौरान ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति है।

जांच की प्रक्रिया में यह शामिल है कि आरोपी अधिकारी/बचाव सहायक को अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित हुए सभी गवाहों के क्रॉस-परीक्षण का अवसर मिले। ऐसा न करने की दशा में यह माना जाएगा कि आरोपी अधिकारी को तार्किक अवसर प्रदान करने से मना किया गया है, जिससे जांच का परिणाम बिगड़ सकता है। यदि शिकायतकर्ता स्वयं गवाह के रूप में उपस्थित होती है तो उनका भी परीक्षण तथा क्रॉस-परीक्षण किया जाएगा। जांच अधिकारी ऐसे किसी प्रश्न को नामंजूर कर सकता है जो आक्रामक, अशोभनीय, अप्रासंगिक या शिकायतकर्ता सहित अन्य गवाहों के लिए कष्टकर हो।

यदि जांच प्राधिकारी कुछ तथ्यों पर सफाई चाहते हैं तो गवाहों से प्रश्न पूछ सकते हैं। यद्यपि यह इस ढंग से होना चाहिए कि ऐसा प्रतीत न हो कि वे आरोपी अधिकारी के विरूद्ध या पक्ष में ऐसा कर रहे हैं। ऐसा प्रस्तुत अधिकारी तथा आरोपी अधिकारी/बचाव सहायक की उपस्थिति में ही होना चाहिए। आरोपी अधिकारी की अनुपस्थिति में कोई जांच नहीं होनी चाहिए। गवाहों का परीक्षण

एक-एक करके किया जाएगा और दूसरे गवाहों को, जिनका परीक्षण नहीं हुआ है, या जिनका परीक्षण हो चुका है, तो एक गवाह के परीक्षण के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति नहीं होगी।

एम. **<u>दैनिक आदेश शीट (डेली आर्डर शीट)</u>**

जांच प्राधिकारी एक दस्तावेज तैयार करेंगे जिसे दैनिक आदेश शीट कहा जाता है, इसमें जांच की मुख्य घटनाएं जैसे आरोपी अधिकारी या प्रस्तुत अधिकारी का अनुरोध/प्रतिवेदन या उस पर लिए गए निर्णय को दर्ज करना। उदाहरण के लिए :-

1) यदि आरोपी गवाहों की क्रॉस परिक्षा लेने के लिए इनकार करता है तो इसका उल्लेख दैनिक आदेश शीट में किया जाए।
2) दैनिक आदेश शीट में यह उल्लेख किया जाए कि आरोपी को यह सलाह दी गई है कि उसे अपने बचाव में बचाव सहायक रखने का अधिकार है।
3) यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि आरोपी को भी यह सूचित कर दिया गया है कि वह किसे बचाव सहायक रख सकते है।
4) यदि मौजूदा निर्देशों के चलते आरोपी को किसी व्यक्ति विशेष को बचाव सहायक रखने के लिए उसे मना किया जाता है तो दैनिक आदेश शीट (डेली ऑर्डर शीट) में भी उल्लेख किया जाए ।

दैनिक आदेश शीट पर जॉच प्राधिकारी (पीठासीन अधिकारी और सभी सदस्य), प्रस्तुति अधिकारी तथा आरोपी / बचाव सहायक जो कि उस दिन सुनवाई के दौरान मौजूद थे, के हस्ताक्षर भी लिए जाए।

एन. **<u>बचाव के लिए साक्ष्य</u>**

अभियोजन के साक्ष्य पूरे हो जाने के बाद आरोपी को अपने बचाव में बयान प्रस्तुत करना चाहिए। अपने बयान में आरोपी को संक्षिप्त में बचाव की स्थिति स्पष्ट चाहिए। इसके उपरांत बचाव के लिए साक्ष्य लिए जाए। अभियोजन के सबूतों के क्रम के अनुसार ही साक्ष्य प्रस्तुत किए जाए । पहले जॉच अधिकारी द्वारा मान्य अभिलेखों को रिकोर्ड किया जायेगा तथा बाद में गवाहों को बुलाया जाएगा तथा इनकी परीक्षा, प्रति परीक्षा तथा पुन: परीक्षा की जाएगी। इसमें यहा पर केवल यही अंतर होगा कि मुख्य तौर पर परीक्षा डिफेंस की होगी। जबकि क्रॉस परीक्षा अभियोजन / प्रस्तुति अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसमें डिफेंस के पास गवाहों के पुन: परीक्षा का अवसर प्राप्त होगा।

ओ. **<u>आरोपी का सामान्य परीक्षण</u>**

बचाव के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की कार्रवाई पूरी होने पर जॉच अधिकारी आरोपी से पूछ सकते है कि आरोपी स्वयं के बचाव में अपने गवाह पेंश करना चाहेगा। यदि वह ऐसा करता है तो दूसरे गवाहों की तरह ही उसकी पड़ताल की जाएगी। यदि वह ऐसा करने के लिए इनकार करता है तो जॉच प्राधिकारी को उससे सामान्य सवालों के जबाव मांगना चाहिए। इस स्तर पर नियम 14(18) के अनुसार पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए। इस स्तर पर आरोपी को उन परिस्थितियों के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए जो कि उसके खिलाफ निर्मित हुई है जिससे कि आरोपी को अपनी बात जॉच प्राधिकारी को विस्तृत रूप से बता सके। प्रस्तुति अधिकारी तथा डिफेंस असिस्टेंट सामान्य पडताल में भाग नहीं ले सकते हैं। पडताल के दौरान जॉच प्राधिकारी आरोपी को अपने सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।

पी. <u>मामले का सार</u>

इसके बाद प्रस्तुति अधिकारी द्वारा अभियोजन को सार प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। जॉच प्राधिकारी(आई.ए.) आरोपी को अभियोजन के सार की एक प्रति इस निर्देश के साथ देगा कि वह अपने बचाव में संक्षिप्त में डिफेंस प्रस्तुत करें। प्रस्तुति अधिकारी और आरोपी दोनो को संक्षेप में जबाव देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। बचाव हेतु संक्षेप में जबाव प्राप्त होने पर जॉच अधिकारी जो रिपोर्ट लिखेगें और उसमें आरोपों के पक्ष एवं विपक्ष में साक्ष्यों की पडताल करेंगें। रिपोर्ट अपने आप में स्वत: स्पष्ट होगी जिसमें प्रत्येक आरोप अलग से स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे जिनके साक्ष्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुचा जा सके। अपने विशलेषण के आधार पर आरोप साबित हुए है या साबित नहीं हुए है, पर जांच अधिकारी अपनी राय देगा। यदि आरोप केवल आंशिक रूप से साबि त होते है, तो जॉच अधिकारी जितने आरोप साबित हुए हैं, उसी अनुपात में उसका उल्लेख करेंगे ।

क्यू. <u>संस्तुति करने वाली समिति को शक्तियां</u>

सामान्यत: जॉच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की संस्तुति देने की अनुमति नहीं हैं । यहां पर शिकायत समिति जो कि जांच प्राधिकारी का कार्य करेगी, उसका कार्य भिन्न होगा। फिर भी शिकायत समिति उक्त पैरा-पी में उल्लेखित संस्तुति कर सकती है: -

- यदि आरोप दुर्भावना से या शिकायतकर्ता यह जानती है कि यह आरोप गलत है या कोई भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करती है या गलत दस्तावेज प्रस्तुत करती है तो समिति शिकायतकर्ता के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की संस्तुति कर सकती है।
- यदि कोई गवाह गलत साक्ष्य देता है या जाली साक्ष्य प्रस्तुत करता है या भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो समिति उस गवाह के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा कर सकती है।
- पीडित महिला को देय अन्य कोई निर्धारित राहत या
- आरोपी के वेतन या भत्तों से ऐसी कोई राशि की कटौती की जा सकती है जिसे कि पीडित महिला या उसके कानूनी वारिश को भुगतान करने के लिए उपयुक्त समझे। आरोपी अधिकारी द्वारा सेवा छोडने, सेवा निव़त्ति , म़त्यु या अन्य किसी कारण से सेवा समाप्ति के समय देय लाभांश राशि से बकाया राशि की वसूली करके पिडित या उसके वारिश को दी जा सकती है। यह प्रतिपूर्ति राशि केन्द्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियमावली 1965 के नियम 11 व्याख्या (ix) जोकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19/11/2010 के ज्ञापन द्वारा जोडा गया है और जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि नियम 14 के उप नियम (2) के प्रावधानों तथा भारत सरकार के विभागों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम (3) के आशय के लिए स्थापित जांच के लिए शिकायत समिति द्वारा अनुशंसित कोई भी प्रतिपूर्ति राशि के प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माने की राशि नहीं होगी।

आर. **<u>गोपनीयता</u>**

शिकायत समिति को यह भी ध्यान रखना होगा कि सू चना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 16 में किसी बात के होते हुए भी पीड़ित महिला की पहचान तथा पता अभियोजन तथा गवाहों, जांच रिपोर्ट, समिति की अनुशंसा को प्रकाशित या संप्रेषित या जनता के संज्ञान में नहीं लाया जाएगा। प्रेस या मीडिया को किसी भी प्रकार से इस संबंध में बताया नहीं जाएगा और यह जानकारी यौन उत्पीड़िता को न्याय प्रदान करने के लिए फैलाई नहीं जाएगी। इस अधिनियम के तहत बिना नाम, पता, पहचान या अन्य किसी प्रकार की जानकारी के बताए, प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे कि पीड़िता और गवाहों की पहचान उजागर हो सके।

एस. **<u>जांच पूरी करना</u>**

इस स्तर पर जांच औपचारिक तौर पर पूरी होगी। केन्द्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियमावली 1965 के नियम 14 (23) (।।) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार जांच प्राधिकारी दस्तावेजों का अलग से फोल्डर तैयार करेंगे।

टी. **<u>निलंबन</u>**

यदि यह महसूस किया जाता है और इसकी आशंका हो कि सरकारी कर्मचारी की कार्यालय में उपस्थिति से जांच प्रभावित होगी या वह दस्तावेजों या गवाहों को नुकसान पहुंचा सकता है तो आरोप पत्र जारी करने से पहले या बाद में सरकारी सेवक को निलंबित भी किया जा सकता है। जहां पर सरकारी कर्मचारी की कार्यालय में उपस्थिति लोकहित के विरूद्ध हो जैसे कि सार्वजनिक तौर पर अनैतिक आचरण किया हो तथा सरकारी कर्मचारी को निलंबित करना आवश्यक हो तो निलंबन को बहाल भी किया जा सकता है ताकि सरकार की नीति को बताया जा सके जिससे इस प्रकार के अनैतिक आचरण में शामिल अधिकारियों से शक्ति से निपटा जा सके। नैतिक पतन में शामिल अपराध के मामले में निलंबन को जारी रखना वांछित हो सकता है।

यू. **धमकियों से या भयभीत करने से निपटने के लिए विशेष प्रावधान**

जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि इस प्रकार की जांच करना व्यवहारिक नहीं है तो नियम 19 (।।) के तहत अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच नहीं भी कर सकते है और बिना जांच के ही कार्रवाई कर सकते है । इस प्रकार से निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जांच शुरू करने से पहले या जांच के दौरान इस प्रकार की परिस्थि तियां उत्पन्न हो सकती हैं। इन परिस्थितियों में यह माना जाएगा कि :-

(1) जहां पर सरकारी सेवक स्वयं या आतंकित करने वाले साथियों के साथ गवाहों को धमकता है या भयभीत करता है जो कि उसके खिलाफ सबूत देने वाला हो और बदला लेने के डर से उनको ऐसा करने से बचाने के लिए हो अथवा

(2) जहां पर सरकारी सेवक स्वयं या आतंकित करने वाले साथियों के साथ गवाहों को धमकता है या भयभीत करता है तो अनुशासनिक प्राधिकारी, समिति के सदस्य, पीठासीन अधिकारी या उसी परिवार के सदस्य

मनमाने ढंग से या गुप्त मकसद मात्र से अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच अधिकारी से सरलता से जांच को छोडने की उम्मीद नहीं की कर सकते है क्योंकि इससे सरकारी कर्मचारी के खिलाफ केस कमजोर होता है।

वी. शिकायतकर्ता और अभियोगी (आरोपी) को जांच रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करवाना :-

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (बचाव, रोकथाम और निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 18 (1) के साथ पठित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का0ज्ञा0 संख्या एफ नं0 11012/5/2016-स्था-तीन दिनांक 02/8/2016 में निहित प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों के विरूद्ध यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले मे आरोप लगाए गए हैं और शिकायत समिति उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई करने की संस्तुति नहीं करती है तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी शिकायतकर्ता को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा शिकायत समिति को रिपोर्ट की कॉपी जारी करनी होगी तथा अंतिम निष्कर्ष देने से पूर्व उनका अभ्यावदेन यदि कोई है तो, उस पर विचार करना होगा। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (बचाव, रोकथाम और निवारण) अधिनियम 2013 के धारा 18 (1) के अंतर्गत अभ्यावेदन को अपील माना जाएगा।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 10 में निहित प्रावधानों के अनुसार :-

1. समिति जांच आरंभ करने से पहले और पीड़िता के अनुरोध पर उसके और प्रतिवादी के बीच समझौते के माध्यम से मामले को सुलझाने के लिए कदम उठा सकती है, बशर्ते की कोई मौद्रिक समझौता सुलह के आधार के रूप में नहीं किया गया हो ।
2. जहां समझौता हो चुका है, समिति ऐसे समझौते को रिकार्ड करेगी और विनिर्दिष्ट सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को भेजेगी।
3. समिति पीड़िता और प्रतिवादी को समझौते की प्रतियां उपलब्ध कराएगी।
4. जहां समझौता हो गया है, समिति द्वारा आगे की कोई जांच नहीं की जाएगी।

7. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के कानून को ध्यान में रखकर, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों का बहुत ही सावधानी से और निष्ठापूर्वक पालन किया जाए तथा निम्नलिखित भी सुनिश्चित किया जाए :-

(i) **<u>व्यापक प्रचार</u>** :- सभी प्रतिष्ठानों, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 का निम्नलिखित तरीके से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेंगे:-

क) सभी संस्थानों के कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 में निहित प्रावधानों के संबंध में महत्वपूर्ण स्थानों पर सूचनात्मक पोस्टर प्रदर्शित करेंगे जैसे – मनोरंजन कक्ष, डाइनिंग हॉल, एम.आई.रूम इत्यादि। इस प्रकार की जानकारी में केंद्रीय और सेक्टर स्तर की

आंतरिक शिकायत समिति की संरचना और पते अवश्य शामिल करने चाहिए जिसमें पीठासीन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर और ई-मेल पते भी शामिल हों।

ख) विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्रकाशित समाचार/बुलेटिन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के शिक्षाप्रद लेख शामिल होने चाहिए।

ग) प्रशिक्षण संस्थान विशेष सत्रों के दौरान प्रशिक्षार्थियों को इस मामले में जानकारी दें। इसके अतिरिक्त अंचलों/सेक्टरों/रेन्जों/अन्य संस्थानों द्वारा भी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के बारे में अपने अधिकारियों/कार्मिकों को विशेष रूप से जानकारी दी जाएगी।

घ) कार्मिक विशेष रूप से महिला अधिकारी/कर्मियों को सैनिक सम्मेलन और मासिक कल्याण बैठकों में नियमित रूप से समझाया जाए।

(ii) **<u>जांच लम्बित रहने के दौरान एपीएआर</u>** :-

यदि पीड़ित महिलाओं के खिलाफ उनके द्वारा की गई शिकायत के लिए प्रतिशोधी कार्रवाई के बारे में उचित आशंका है, तो यौन उत्पीड़न समिति के पीठासीन अधिकारी उसे पीड़ित महिलाओं के पुनरीक्षण प्राधिकारी को सिफारिश कर सकते हैं, जो अपनी अभ्युक्ति दर्ज कराने के दौरान यौन उत्पीड़न समिति के पीठासीन अधिकारी की सिफारिशों पर विचार करेंगे।

(iii) **<u>शिकायत दर्ज करना</u>** :- कोई पीड़ित महिला सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय/सेक्टर स्तर की शिकायत समिति जैसी भी स्थिति हो, को अपनी शिकायत भेज सकती है। हालांकि यदि शिकायतकर्ता अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण ऐसा करने में असमर्थ है, तो नजदीक के केरिपुबल कार्यालय/संस्थान में शिकायत प्रस्तुत कर सकती है। ऐसे केरिपुबल कार्यालय/प्रतिष्ठानों के प्रभारी शिकायतकर्ता से प्राप्त शिकायत को 24 घंटों के भीतर संबंधित केंद्रीय/सेक्टर स्तर के शिकायत समिति जैसी भी स्थिति हो, को आगे की कार्रवाई हेतु भेजना सुनिश्चित करेंगे और शिकायतकर्ता को लिखित पावती प्रदान की जाएगी। यौन उत्पीड़न से संबंधित पीड़ित महिला सरकारी कर्मचारी ई-मेल द्वारा भी शिकायत दर्ज करा सकती है।

IV. **<u>भत्ता</u>** :- गैर सरकारी संगठन अथवा संस्था से नियुक्त सदस्य को नियोक्ता द्वारा शिकायत समिति की कार्यवाही के लिए फीस या भत्ते जैसा निर्धारित हो, का भुगतान किया जाएगा। एनजीओ सदस्य को भत्ता सीएलआईसीसी/सेक्टर कार्यालय के पीठासीन अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा समय-समय यथासंशोधित जी.आई.एस.एफ. संख्या एफ-5(15)-ई-चार-(बी)/68 दिनांक15/09/1969 के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

V. **<u>जांच से जुड़े कर्मियों की परिचालनिक अनुमति</u>** :-

यौन उत्पड़ीन जांच में सहयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मियों को साधारणतया संबंधित परिचालनिक नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा परिचालनिक अनुमति प्रदान करने में इंकार नहीं करना चाहिए। हालांकि यदि प्रशासनिक/परिचालनिक कारणों से जहां ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति अपरिहार्य है, तो संबंधित परिचालनिक सेक्टर इस मामले को निर्णय के लिए महानिदेशालय को भेजेगा, जोकि ऐसे मामले में निर्णय लेंगे।

VI. **<u>रिपोर्ट/रिटर्नस</u>** :-

सेक्टर स्तर की शिकायत समिति के संबंधित पीठासीन अधिकारी यौन उत्पीड़न मामले की लंबित मासिक रिपोर्ट संबंधित सेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। सेक्टर सीएलआई (सीसी) के पीठासीन अधिकारी को समेकित रिपोर्ट भेजेंगे। केंद्रीय स्तर की आंतरिक शिकायत समिति इसकी रिपोर्ट प्रत्येक माह के 2 तारीख को महानिदेशालय को अग्रेसित करेंगे। ऐसे मामलों की सूची जहां पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज करायी है तथा रिटर्न प्रस्तुत करने तक कार्रवाई शुरू नहीं की गई है तो उसे अलग से दर्शाया जाए।

8. भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-11013/7/2016-स्थापना-ए-।।। दिनांक 22/12/2016 के तहत जारी अनुदेशों के अनुसार शिकायत समिति यह सुनिश्चित करेगी कि पीड़ित महिलाओं द्वारा उनके पास दर्ज करायी गई शिकायतों के लिए उन्हें परेशान तो नहीं किया जाता है। यौन उत्पीड़न से संबंधित साबित हुए मामलों में 5 वर्षों के बाद एक नजर रखी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसे प्रतिशोध के लिए तंग नहीं किया जाता है। जहां ऐसा विश्वास करने का पर्याप्त आधार हो कि उसे इसके लिए यौन उत्पीड़न के मामले में परेशान किया जा सकता है तो उसे प्रतिवादी/आरोपित अधिकारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के अधीन तैनात नहीं किया जाना चाहिए । किसी भी प्रकार से परेशान करने के मामले में शिकायतकर्ता मंत्रालयों/विभागों के सचिव को अभिवेदन प्रस्तुत कर सकती है और अन्य मामलों में संगठन के प्रमुख को अभिवेदन प्रस्तुत कर सकती है। इन अभ्यावेदनों को शिकायत समिति के परामर्श से तथा प्रस्तुति के 15 दिनों के भीतर संवेदनशीलता से निपटाया जाना चाहिए।

9. यह स्थायी आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

ह0/12-07-2017
(राजीव भटनागर)
महानिदेशक

सं. डब्ल्यू.पांच.निर्देश/2017/सतर्कता दिनांक 12 जुलाई, 2017

1. सभी जोन मुख्यालय, केरिपुबल।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, केरिपुबल, अकादमी।
3. सभी सेक्टर महानिरीक्षकों, निदेशक-आईएसए/सीटीसी/सीआईएटी/सीएसजेडब्ल्यूटी/ महानिरीक्षक (चिकित्सा) केरिपुबल, कम्पोजिट अस्पताल।
4. सभी उप महानिरीक्षक, रेंज (परिचालन रेंज सहित)/आरटीसी/सीटीसी(टी एण्ड आईटी), ग्रुप केन्द्रों/उप महानिरीक्षक(चिकित्सा), कम्पोजिट अस्पताल, केरिपुबल।
5. सभी यूनिट कमांडेंट, आरएएफ/महिला/एसडीजी/कोबरा/सिगनल बटालियन सहित।

6. सभी लेखा परीक्षा अधिकारी, आईएपी-I, II, III, IV और V.

ह0/12-07-2017
(गुरशक्ति सिंह सोढ़ी)
उप महानिदेशक (गो.रि. एवं सतर्कता)

<u>आंतरिक</u> :-

उ0म0नि0 (आई.टी.) महानिदेशालय : इस परिपत्र आदेश को डीएमएस में सेलो में अपलोड करने का अनुरोध है।

महानिदेशालय की सभी शाखाओं को। (प्रशासन शाखा को महानिदेशक, केरिपुबल के अनुमोदन की का0टि0 की प्रति रिकार्ड हेतु संलग्न है। संलग्न : 3 पन्ने)।